न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
148 / 2024	19.04.2024	23.05.2024

उनवान

1. एसएमओ भेटल्स एण्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत व्यक्ति आयुषी पोरवाल पुत्री राजेन्द्र पोरवाल उना वयस्क निवासी 1, वहीद नगर, पुराना बाई पास रोड, रतलाम तहसील व जिला रतलाम (एम.पी.)

प्रार्थी

बनाम

कालु लाल पिता कन्हैया लाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बड़ला तहसील कोटड़ी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

रामेश्वर लाल पिता मांगी लाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी शोपुरा (सवाईपुर) तहसील कोटड़ी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

शंकर लाल पिता बालु जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तहसील कोटड़ी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

भोलु पिता लहरू अचारज जाति अचारज उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा तहसील कोटड़ी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा

श्री बरदीचन्द पिता लहरू अचारज जाति अचारज उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा तहसील कोटड़ी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

आकांक्षा माहेश्वरी पुत्री कृष्णगोपाल राठी जाति माहेश्वरी उम्र वयस्क निवासी ए–74, विजयसिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये भू धारक तहसीलदार कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा (राजस्थान)

–विपक्षीगण

प्रत:–अधिवक्ता प्रार्थी अनिल कुमार ओझा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गा बन का खेड़ा प0ह0 बन का खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सवाईपुर तहसील व जिला लवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 48 की अभिलिखित आराजियात

Ahad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

90/3 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बन का खेड़ा प0ह0 बन का खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सवाईपुर, तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 48 की अभिलिखित आराजियात 90/3 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा कराई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा